आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0......24....../17–18

राज्य बनाम स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43C-6148

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
14.11.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार (पुलिस शिविर पस्तपार) थाना कांड संख्या–247/17 दिनांक– 26.05.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन स्पेलेन्डर प्रो रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43C-6148 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख पर प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौरबाजार (पुलिस शिविर पस्तपार) थाना कांड संख्या–247/17 दिनांक–26.05.17 में स0अ0नि0 शिवपुजन कुमार, पुलिस शिविर पस्तपार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त नामजद दिनेश मुखिया पिता–अवध मुखिया सा0 जीरवा थाना–सौरबाजार जिला–सहरसा के विरूद्ध कांड अंकित किया है। शाह बाजार पस्तपार में स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43C-6148 पर प्लास्टिक डिब्बा रखकर बेचने का काम करते है। मोटर साईकिल सहित देशी महुआ शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया तथा मोटर साईकिल एवं देशी महुआ शराब बरामद किया गया। उक्त देशी महुआ शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है।	

14.11.18

	ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया और कथन किया गया कि वह शराब का व्यवसाय नहीं करता है और न ही अपने वाहन का उपयोग शराब के व्यवसाय में किया है किसी ने रात के अंधेरे में मोटर साईकिल के लेगार्ड में काली पन्नी में शराब का थैला टांगकर पुलिस को सूचित कर दिया और दुश्मनी से ऐसा किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार सभी शर्तो को मानने और प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट हो कि इनके वाहन से अवैध शराब का परिवहन नही किया गया है। विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है। अतः जब्त वाहन स्पेलेन्डर प्रो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43C-6148 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है। 14.11.17 समाहर्त्ता, सहरसा। 14.11.17 समाहर्त्ता, सहरसा।	

ज्ञापांक 1798-2/विधि, सहरसा, दिनांक 15-11-2017

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.11.017